रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 1994/भाद्र 28, 1916
No. 473] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 19, 1994/BHADRA 28, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1994

का. आ. 691(अ).—केन्द्रीय सरकार, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 1994 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 3 के उपनियम (2) के खंड (क) में, "मैसूर" शब्द के स्थान पर "कर्नाटक" शब्द रखा जाएगा ।

[फा. सं० 1/25/85–ई पी (एम०पी०)]

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम का. आ. 485 (अ) तारीख 12-7-1972 द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में उसका का.आ. सं. 1886 तारीख 9 जून, 1988 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 1994

S.O. 691(E).—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972), the Central Government makes the following rules further to amend the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Marine Products Export Development Authority (Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, in rule 3, in Sub-rule (2), in Clause (a) for the word "Mysore", the word "Karnataka" shall be substituted

[F. No. 1|25|85-EP(MP)]

ASHOK KUMAR, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published vide S.O. 485 (E) dated 12--7-1972 and amended vide S. O. No. 1886 dated 9-6-1988.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994